

Disclaimer

The Institute has given the right of translation of the material in Hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

अस्वीकरण

भारतीय लेखाकार संस्थान ने इस अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार किसी को दिया था और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, इस अध्ययन विषय-वस्तु के मूल रूप की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है, फिर भी, यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

अस्वीकरण

वेबसाइट पर होस्ट किया गया और सुझाया गया यह उत्तर परीक्षा में छात्र के उत्तरों के मूल्यांकन का आधार नहीं है। छात्रों को उनकी शिक्षा में सहायता करने की दृष्टि से अध्ययन बोर्ड के संकाय द्वारा ये उत्तर तैयार किए जाते हैं। जहाँ आवश्यक हो, वैकल्पिक उत्तर शामिल किए गए हैं। उत्तर तैयार करने में उचित सावधानी बरती जाती है, यदि कोई त्रुटि या चूक देखी जाती है, तो उसे अध्ययन बोर्ड के निदेशक के ध्यान में लाया जा सकता है। संस्थान की परिषद यहाँ प्रकाशित उत्तरों की शुद्धता या अन्यथा के लिए किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक पेपर में, जो केस स्टडी पर आधारित होते हैं, प्रश्न में दिए गए तथ्यों या प्रश्न में प्रयुक्त भाषा से सृजित कुछ मान्यताओं/विचारों के आधार पर समाधान निकाले गए हैं। यह संभव है कि बनी धारणाओं या विचारों के आधार पर केस स्टडी का समाधान अलग तरीके से निकाला जाए।

पेपर – 6च: बहु - विषयक केस स्टडी

इस प्रश्न पत्र में पांच केस स्टडी प्रश्न हैं। अभ्यर्थियों को पाँच में से किन्हीं चार केस स्टडी प्रश्नों का उत्तर देना है।

आपके सभी संबंधित कार्य आपके उत्तर का हिस्सा होने चाहिए।

केस स्टडी - 1

मैजेस्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है; वे विद्युत क्षेत्र के लिए सहायक उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। पिछले एक दशक में विद्युत क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए जाने के चलते, कंपनी इस क्षेत्र में अपनी शक्ति आजमाने के लिए बड़ी योजना बना रही है। कर कानूनों और कंपनी कानून में लाए गए विभिन्न और दूरगामी परिवर्तनों के कारण, कंपनी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तथ्य इस प्रकार हैं:

मामले के तथ्य:

1. कंपनी भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदान की कटौती का दावा कर रही है, भले ही भुगतान में कुछ महीनों की देरी हुई। किसी एक निर्धारण वर्ष में निर्धारण अधिकारी ने उन महीनों के दावे को नामंजूर कर दिया है, जहां भुगतान में देरी हुई थी। तथापि, ट्रिब्यूनल ने कंपनी द्वारा दायर अपील में इसकी अनुमति दे दी है। लेखाकार (अकाउंटेंट) निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए दुविधा में है कि क्या वह अब भी उस का दावा कर सकता है। कंपनी का लेखाकार आपको भविष्य निधि में कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं के अंशदान और भुगतान की तारीखों के बारे में निम्नलिखित जानकारी दे रहा है। इस मामले में कंपनी के लिए कर-विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख 31.10.2022 है।

पीएफ में कर्मचारियों का अंशदान	पीएफ में नियोक्ताओं का अंशदान	भुगतान की देय तिथि	भुगतान की गई वास्तविक राशि	संबंधित प्राधिकारियों को किए गए दोनों भुगतानों की वास्तविक तिथि
1,33,000	1,33,000	20-05-2021	2,66,000	13-05-2021
1,34,000	1,34,000	20-06-2021	2,68,000	19-06-2021
1,33,500	1,33,500	20-07-2021	2,67,000	25-07-2021
1,34,000	1,34,000	20-08-2021	2,68,000	08-10-2021
1,33,500	1,33,500	20-09-2021	2,67,000	16-10-2021
1,32,500	1,32,500	20-10-2021	2,65,000	13-10-2021
1,34,500	1,34,500	20-11-2021	2,69,000	20-11-2021
1,33,000	1,33,000	20-12-2021	2,66,000	22-03-2022
1,50,000	1,50,000	20-01-2022	3,00,000	29-03-2022
1,49,000	1,49,000	20-02-2022	2,98,000	29-09-2022
1,47,000	1,47,000	20-03-2022	2,94,000	29-10-2022
1,48,000	1,48,000	20-04-2022	2,96,000	भुगतान नहीं किया

2. कंपनी का बोर्ड सीएसआर कार्यकलाप पर कंपनी की सीएसआर दायित्व के रूप में खर्च कर रहा है। कंपनी का सीएफओ आपको निम्नलिखित जानकारी प्रदान कर रहा है:

रुपये करोड़ में

विवरण	31-3-2022	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2019
शुद्ध लाभ	3.50	7.50	4.25	3.00
बिक्री (कारोबार)	600.00	850.00	700.00	710.00

कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क और 80छ के तहत पंजीकृत एक स्वतंत्र एनजीओ, बीएमसी फाउंडेशन के माध्यम से सीएसआर अंशदान भी कर रही है, लेकिन फाउंडेशन ने अभी तक सीएसआर कार्यकलाप के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ पंजीकरण नहीं लिया है।

3. सीएफओ ने बोर्ड को सूचित किया कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग अपेक्षाओं में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। अनेक सूचनाओं के लिए परिपक्व विश्लेषण (एजिंग एनालिसिस) शुरू किया गया है, अचल संपत्ति, उधारों के उपयोग, बेनामी संपत्तियों आदि के बारे में अधिक जानकारी की मांग की गई है और तदनुसार सीएसआरओ का दायरा भी बढ़ाया गया है। कंपनी का मुख्य लेखाकार 31.03.2022 तक व्यापार देय राशि (ट्रेड पेएबल) का निम्नलिखित विवरण प्रदान करता है:

बकाया भुगतान:

180 दिनों से कम	₹ 15,00,000
180 दिन से अधिक और एक वर्ष से कम	₹ 11,20,000
1 से 2 वर्ष के बीच की अवधि के लिए	₹ 5,00,000
2 से 3 वर्ष के बीच की अवधि के लिए	₹ 3,00,000

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लगाया गया जीएसटी @ 12% है जो उपर्युक्त बकाया भुगतान में शामिल है। कंपनी नियमित रूप से अपनी लेखा-बहियों में उपलब्ध आईटीसी का दावा कर रही है, लेकिन वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले बकाया के संबंध में आईटीसी का कोई प्रत्यावर्तन (रिवर्सल) नहीं किया है। उपर्युक्त में व्यापार देय राशि भुगतान के लिए देय है, निर्विवाद है और गैर-एमएसएमई को देय है।

4. एनएएन कंसल्टेंट्स (दिल्ली) कंपनी के लेखा और वित्त कर्मियों को उनके दिल्ली कार्यालय जो जीएसटी के तहत पंजीकृत भी है, में लेखांकन सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण देते हैं। यह सेवा मुहैया कराने के संबंध में अनुबंध मुंबई में उनके प्रधान कार्यालय के साथ किया गया था।

बहु-विकल्पी प्रश्न: निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प बताएं।

- 1.1 भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान निम्नलिखित सीमा तक कटौती योग्य होगा:

- (क) ₹ 16,62,000
(ख) ₹ 11,28,000
(ग) ₹ 5,34,000
(घ) ₹ 15,14,000

1.2 भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान निम्नलिखित सीमा तक कटौती योग्य होगा:

(क) ₹ 16,62,000

(ख) ₹ 11,28,000

(ग) ₹ 5,34,000

(घ) ₹ 15,14,000

1.3 इस केस स्टडी के आलोक में, क्या कंपनी से अपेक्षित है कि वह वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर समिति बनाए:

(क) कंपनी को सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुल अंशदान 50 लाख से कम है और बोर्ड सीएसआर समिति के कार्य करेगा।

(ख) कंपनी को सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी वर्ष 2021-22 के दौरान शुद्ध, कुल बिक्री या शुद्ध मूल्य के किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करती है।

(ग) कंपनी को सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुल अंशदान 50 लाख से कम है और बोर्ड तय कर सकता है कि सीएसआर समिति के कार्य कौन करेगा।

(घ) कंपनी को सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ केवल ₹ 4.92 करोड़ रहा है।

1.4 क्या कंपनी को इस केस स्टडी में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को प्रत्यावर्तित करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो कितनी राशि (ब्याज को छोड़ दें):

(क) लेखा-बहियों में आईटीसी को प्रत्यावर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी हाँ, ₹ 1,34,400

(ग) जी हाँ, ₹ 1,12,000

(घ) जी हाँ, ₹ 1,20,000

1.5. एनएएन कंसल्टेंट्स द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में आपूर्ति का स्थान क्या होना चाहिए?

(क) मुंबई

(ख) दिल्ली

(ग) परामर्शदाता के विवेक पर मुंबई या दिल्ली

(घ) धारा 12(5) के अनुसार, प्रशिक्षण या निष्पादन मूल्यांकन सेवाओं के संबंध में जीएसटी उद्ग्रहणीय नहीं है। इसलिए आपूर्ति के स्थान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5 x 2 = 10 अंक)

वर्णनात्मक प्रश्न

- 1.6. इस केस स्टडी में, एक कर-लेखापरीक्षक के रूप में आप भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदान और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(क) (ii) के अनुसार की जाने वाली किसी भी अस्वीकृति को फॉर्म 3सीडी में कैसे रिपोर्ट करेंगे ? **(4 अंक)**
- 1.7 केस स्टडी के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी द्वारा सीएसआर समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों और अपेक्षाओं की व्याख्या करें। **(7 अंक)**
- 1.8 आप केस स्टडी के पैरा संख्या 3 में दी गई व्यापार देय राशि से संबंधित जानकारी का खुलासा वित्तीय विवरणों में कैसे करेंगे? **(4 अंक)**

केस स्टडी-1 के उत्तर**भाग - क**

1.1 (ग)

1.2 (घ)

1.3 (क)

1.4 (घ)

1.5 (क)

- 1.6 लेखापरीक्षक से भविष्य निधि में कर्मचारी के अंशदान को खंड 20(ख) के तहत फॉर्म 3सीडी में निम्नानुसार रिपोर्ट करना अपेक्षित है: धारा 36(1)(vक) में उल्लिखित विभिन्न निधियों के लिए कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान का विवरण:

क्र.सं.	निधि का स्वरूप	कर्मचारियों से प्राप्त राशि	भुगतान की देय तिथि	भुगतान की गई वास्तविक राशि	संबंधित अधिकारियों को भुगतान की वास्तविक तिथि
1	पीएफ में कर्मचारी का अंशदान	1,33,000	20.05.2021	1,33,000	13.05.2021
2	पीएफ में कर्मचारी का अंशदान	1,34,000	20.06.2021	1,34,000	19.06.2021
3	पीएफ में कर्मचारी का अंशदान	1,33,500	20.07.2021	1,33,500	25.07.2021
4	पीएफ में कर्मचारी का अंशदान	1,34,000	20.08.2021	1,34,000	08.10.2021

5	पीएफ में कर्मचारी का अंशदान	1,33,500	20.09.2021	1,33,500	16.10.2021
6	पीएफ में कर्मचारी का अंशदान	1,32,500	20.10.2021	1,32,500	13.10.2021
7	पीएफ में कर्मचारी का अंशदान	1,34,500	20.11.2021	1,34,500	20.11.2021
8	पीएफ में कर्मचारी का अंशदान	1,33,000	20.12.2021	1,33,000	22.03.2022
9	पीएफ में कर्मचारी का अंशदान	1,50,000	20.01.2021	1,50,000	29.03.2022
10	पीएफ में कर्मचारी का अंशदान	1,49,000	20.02.2021	1,49,000	29.09.2022
11	पीएफ में कर्मचारी का अंशदान	1,47,000	20.03.2021	1,47,000	29.10.2022

इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 (क) (ii) के तहत अस्वीकृति के संबंध में कर लेखापरीक्षक द्वारा फॉर्म 3सीडी में कोई रिपोर्टिंग नहीं की जानी है, लेकिन निर्धारिती द्वारा संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए कर विवरणी भरने के समय केवल राशि को अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

- 1.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसका ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मूल्य पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, अथवा एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का कुल कारोबार है अथवा पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है, तीन या अधिक निदेशकों वाले बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगी, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

बशर्ते कि जहां किसी कंपनी को धारा 149 की उप-धारा (4) के तहत स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, वहां उसके पास अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में दो या अधिक निदेशक होंगे।

नियम 3(1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसमें इसकी अपनी स्वामित्वाधीन या सहायक कंपनी शामिल है और अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) के तहत परिभाषित भारत में अपने शाखा कार्यालय या परियोजना कार्यालय वाली कोई विदेशी कंपनी, जो अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती है, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों और इन नियमों का अनुपालन करेगी:

"शुद्ध मूल्य" [धारा 2(57) के अनुसार] का अर्थ है लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार, संचित हानियों, आस्थगित व्यय, अपलिखित न किए गए प्रकीर्ण व्यय के संकलित मूल्य की कटौती करने के पश्चात, समादत्त शेयर पूंजी और लाभों में से सृजित सभी आरक्षितियों और प्रतिभूति प्रीमियम लेखे तथा लाभ एवं हानि खाते के नामे एवं जमा शेष का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किन्तु इसके

अंतर्गत आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन, अवक्षयण के प्रतिलेखन और समामेलन में सृजित आरक्षितियाँ नहीं हैं।

कंपनियों का बहिष्करण [कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 का नियम 3(2)]

प्रत्येक कंपनी जो लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाली कंपनी नहीं रह जाती है, को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी -

(क) सीएसआर समिति का गठन; और

(ख) उक्त धारा की उप-धारा (2) से (6) में निहित प्रावधानों का अनुपालन करना,

जब तक कि यह धारा 135 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

हालांकि वर्तमान मामले में, 31-03-2021 (अर्थात् वित्तीय वर्ष से ठीक पहले) को मैजैस्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शुद्ध लाभ 7.50 करोड़ रुपये था, कंपनी को सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार जहां उप-धारा (5) के तहत कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन के लिए उप-धारा (1) के तहत अपेक्षा लागू नहीं होगी और इस धारा के तहत उपबंधित ऐसी समिति के कार्य, ऐसे मामलों में, ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्वहन किए जाएंगे। केस स्टडी में दिए गए शुद्ध लाभ के आंकड़ों के अनुसार खर्च की जाने वाली परिकलित राशि है ₹ 9.83 लाख बैठती है $[(7.50+4.25+3.00)/3]*2\%$

1.8 31 मार्च, 2022 तक मैजैस्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तुलन पत्र के अंश

विवरण	₹
देनदारियां	
वर्तमान देनदारियां	
(क) वित्तीय देनदारियां	
(i) व्यापार देय राशियां	34,20,000
कुल देनदारियां	XXXX
कुल इक्विटी और देनदारियां	XXXX

व्यापार देय राशियाँ

31 मार्च, 2022 को बकाया व्यापार देय राशियों के लिए परिपक्व इस प्रकार है:

विवरण	एक वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
निर्विवाद-एमएसएमई को छोड़कर अन्य	26,20,000	5,00,000	3,00,000	-	34,20,000

टिप्पणी: प्रश्न में परिचालन चक्र के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। यह माना जाता है कि सभी व्यापार देय राशियाँ परिचालन चक्र के दायरे में हैं और इसलिए उन्हें वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

केस स्टडी: 2**आपके बारे में**

आप नई दिल्ली स्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक प्रसिद्ध फर्म का हिस्सा हैं जो फॉरेंसिक लेखापरीक्षा, अंतरराष्ट्रीय कराधान (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष), सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित लेखापरीक्षा, पंजीकृत मूल्यांकक आदि जैसे व्यवसाय के आधुनिक क्षेत्रों में लगी हुई है।

एफएसएल के बारे में

आपके एक मित्र ने मैसर्स फॉरएवर सोर्स लिमिटेड (एफएसएल) को आपके नाम की सिफारिश की है, जो एक सूचीबद्ध निकाय है जो कपड़ा उद्योग में उपयोग किए जाने वाले विशेष रसायनों के विनिर्माण और निर्यात में लगी हुई है और जिसका वार्षिक कारोबार ₹ 50 करोड़ है।

समस्याएँ (मुद्दे)

1. प्रबंधन-तंत्र ने 30 सितंबर 2022 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय परिणामों को अंतिम रूप दे दिया है। कंपनी का राजस्व, शुद्ध लाभ और नकद लाभ कई गुना बढ़ गया है, इसलिए प्रबंधन ने कंपनी के शेयरों को वापस खरीदने (बाय-बैक) का निर्णय लिया है और सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद इस निर्णय को लागू करना तय किया है। कंपनी ने वापसी खरीद के प्रयोजनार्थ मुक्त भंडार और प्रतिभूति प्रीमियम खाते में पड़ी शेष राशि का उपयोग किया है। निम्नलिखित प्रासंगिक जानकारी आपके अवलोकन के लिए उपलब्ध है जो वापसी खरीद से पहले है:

विवरण	राशि (₹ लाख में)
इक्विटी और देनदारी	
(1) शेयरधारक की निधि	
(क) शेयर पूंजी	1000.00
(ख) आरक्षित भंडार और अधिशेष	2000.00
कुल	3000.00

कंपनी ने अपनी शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत (खुले बाजार से तीन प्रतिशत और शेष कंपनी के एक निवेशक श्री रमन से) वापस खरीद लिया है।

- II. चूंकि कंपनी विशिष्ट रसायनों का कारोबार करती है, इसलिए कंपनी के पास विभिन्न प्रकार की मालसूची रखी हुई है। मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, इसे चार श्रेणियों (श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4) में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को इंड एस 2- माल-सूची द्वारा निर्धारित माल-सूची मूल्यांकन मानदंडों का पालन करना होगा। कंपनी के रिकॉर्ड से निम्नलिखित जानकारी (श्रेणी-वार) उपलब्ध हुई है।

(राशि हजार रुपये में)

माल-सूची मद	लागत	अनुमानित बिक्री मूल्य	बिक्री लागत	उचित मूल्य
श्रेणी 1	10,000	9,800	700	9,500
श्रेणी 2	16,000	20,000	400	19,600
श्रेणी 3	18,000	19,000	400	18,100
श्रेणी 4	8,000	9,500	350	9,000

कंपनी के कर्मचारियों ने माल-सूची को ₹ 52,000 (000' में) के रूप में मूल्य दिया है क्योंकि अन्य हर तरीके से (उचित मूल्य या बिक्री मूल्य) मूल्यांकन ₹ 52,000 (000' में) से अधिक है।

- III. कंपनी अपनी ग्राहक पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन करती रहती है। हाल ही में, श्री रोहित के एक मित्र ने उन्हें वर्ल्डवाइड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेन्ट एजेंसी (डब्ल्यूओए) द्वारा संचालित ऑनलाइन विज्ञापन मंच का उपयोग करने का सुझाव दिया। डब्ल्यूओए का भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) नहीं है। श्री रोहित ने ₹ 2,50,000 के संविदित प्रतिफल के लिए निश्चित अवधि के लिए ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। डब्ल्यूओए ने नियमों और शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान की हैं और एफएसएल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के बाद संविदित भुगतान किया गया है।

ऑनलाइन विज्ञापन का उपयोग करने के परिणाम आने आरंभ हो गए हैं। कंपनी को अनेक प्रश्नादि प्राप्त हुए हैं और ऐसी ही एक पूछताछ मैसर्स एगो रिसर्च लिमिटेड (एआरएल) के साथ ₹ 75 लाख (जीएसटी @ 18% को छोड़कर) के बिक्री अनुबंध में परिवर्तित हो गई है। एआरएल एक नई निगमित कंपनी है (वर्ष 2021-22 के दौरान) और अगस्त 2021 के महीने में अपना कारोबार शुरू किया है और अब तक केवल ₹ 150.00 लाख का कारोबार किया है। एआरएल ने विक्रेता कंपनी को अपने पैन सहित सभी दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं। उत्पाद की आपूर्ति सितंबर 2021 के महीने में की गई थी और अनुबंध संबंधी संपूर्ण प्रतिफल भी उसी महीने में प्राप्त हो गया है।

- IV. 1 अप्रैल 2021 को, एफएसएल ने नवगठित कंपनी डीईएफ की मतदान शक्ति में 20% हिस्सेदारी अर्जित करने के लिए ₹ 1 लाख की कीमत पर डीईएफ लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश किया है। तकनीकी शर्तों के अनुसार, डीईएफ को एफएसएल का सहयोगी माना जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अंत में, डीईएफ ने ₹ 10,000 का लाभ और ₹ 2000 की अन्य व्यापक आय अर्जित की। उस वर्ष, डीईएफ ने ₹ 4,000 का लाभांश भी घोषित किया। एफएसएल के वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए तैयार नकद प्रवाह विवरण में इस लेनदेन को उचित रूप से दर्शाया गया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, एफएसएल ने विकास लागतों का पूंजीकरण किया है जो इंड एस 38 'अमूर्त परिसंपत्ति' के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है। कुल पूंजीकृत राशि ₹ 16 लाख थी। विकास परियोजना ने 01 जनवरी 2022 से एफएसएल के लिए आर्थिक लाभ सृजित करना शुरू कर दिया है। एफएसएल के निदेशकों ने अनुमान लगाया है कि परियोजना उस तारीख से पांच वर्ष के लिए आर्थिक लाभ सृजित करेगी। विकास व्यय 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कर योग्य लाभ के प्रति पूरी तरह से कटौती योग्य है।

- V. एफएसएल की एक लेखापरीक्षा समिति है जो नियमित रूप से बैठक करती है और वित्तीय विवरणों पर विचार करती है। एफएसएल में 6 निदेशक हैं जिनमें 3 स्वतंत्र निदेशक हैं। लेखापरीक्षा समिति में 3 निदेशक होते हैं जिनमें से 2 निदेशक स्वतंत्र निदेशक होते हैं। सभी निदेशक वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता रखते हैं। एफएसएल के सांविधिक लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

तथापि, सांविधिक लेखापरीक्षक बैठक में भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

ध्यान दें कि कंपनी भारतीय लेखा मानक (इंड एस) अनुपालनकर्ता कंपनी है और प्रत्यक्ष कर कानूनों से संबंधित उत्तर निर्धारण वर्ष 2022-23 से संबंधित होने चाहिए।

बहु-विकल्पी प्रश्न: निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प दीजिए:

- 2.1 फॉरएवर सोर्स लिमिटेड (एफएसएल) द्वारा की गई प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के लेन-देन की रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षा की स्थिति आयकर अधिनियम 1961 के तहत क्या है ?

- (क) आयकर अधिनियम के तहत किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अपेक्षा 100.00 करोड़ और उससे अधिक की शेयर पूंजी वाली कंपनियों के लिए लागू है।
- (ख) ₹ 50.00 लाख की रिपोर्टिंग वित्तीय लेनदेन के विवरण में की जाएगी।
- (ग) ₹ 30.00 लाख की वापसी खरीद की रिपोर्टिंग वित्तीय लेनदेन के विवरण में की जाएगी।
- (घ) ₹ 20.00 लाख की रिपोर्टिंग वित्तीय लेनदेन के विवरण में की जाएगी।

- 2.2 कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए गए माल-सूची के मूल्यांकन पर आपकी क्या राय है ?

- (क) कंपनी द्वारा किया गया मूल्यांकन सही है।
- (ख) कंपनी द्वारा किया गया मूल्यांकन गलत है और सही मूल्यांकन ₹ 51,100 (000' में) है।
- (ग) कंपनी द्वारा किया गया मूल्यांकन गलत है और सही मूल्यांकन ₹ 51,500 (000' में) है।
- (घ) कंपनी द्वारा किया गया मूल्यांकन गलत है और सही मूल्यांकन ₹ 51,800 (000' में) है।

2.3 वित्तीय विवरणों में रिपोर्टिंग करते समय कंपनी द्वारा वहन की गई विकास लागत (कर की दर 20% मानते हुए) और इसके वर्गीकरण के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्ति/देनदारी निम्नलिखित होगी:

(क) ₹ 3,60,000 की आस्थगित कर परिसंपत्ति को वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(ख) ₹ 3,04,000 की आस्थगित कर देनदारी को गैर-वर्तमान देनदारी के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(ग) ₹ 3,04,000 की आस्थगित कर परिसंपत्ति को गैर-वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(घ) ₹ 3,04,000 की आस्थगित कर परिसंपत्ति को वर्तमान देनदारी के रूप में मान्यता दी जाएगी।

2.4 फॉरएवर सोर्स लिमिटेड (एफएसएल) और एग्रो रिसर्च लिमिटेड (एआरएल) के बीच बिक्री/खरीद लेनदेन पर कर-देनदारियां (कर की कटौती या संग्रहण अर्थात् टीडीएस/टीसीएस) क्या हैं ?

(क) एफएसएल द्वारा ₹ 7,500 की राशि का टीसीएस एकत्र किया जाना है।

(ख) एआरएल द्वारा ₹ 7,500 की राशि का टीडीएस काटा जाएगा।

(ग) एआरएल द्वारा ₹ 8,850 की राशि का टीडीएस काटा जाएगा।

(घ) एफएसएल द्वारा ₹ 3,850 की राशि का टीसीएस एकत्र किया जाना है।

2.5 फॉरएवर सोर्स लिमिटेड (एफएसएल) द्वारा वर्ल्डवाइड ऑनलाइन एडवर्टाई इवर्टाईज़मेंट एजेंसी (डब्ल्यूओए) को किए गए भुगतान पर लगने वाले कर की राशि क्या होगी?

(क) अनिवासी को किए गए ₹ 75,000 की राशि के भुगतान पर टीडीएस काटा जाएगा।

(ख) वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 165 के तहत ₹ 15,000 की समकरण लेवी।

(ग) वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 165 के तहत ₹ 5,000 की समकरण लेवी।

(घ) धारा 94ग के तहत विज्ञापन पर ₹ 5000 की टीडीएस कटौती की जाएगी।

(5 x 2 = 10 अंक)

वर्णनात्मक प्रश्न

2.6 इस केस स्टडी में लेखापरीक्षा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए, आपको लेखापरीक्षा समिति में लेखापरीक्षक की भूमिका पर टिप्पणी करनी है। यह भी टिप्पणी करें कि क्या लेखापरीक्षा समिति का गठन वैध है। (5 अंक)

2.7 अस्थायी अंतर लेनदेन का उदाहरण दें जो किसी उद्यम के कर-योग्य लाभ या हानि को प्रभावित कर सकते हैं। (5 अंक)

2.8 यदि डीईएफ लिमिटेड में निवेश नकदी को छोड़कर किसी अन्य तरीके से किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि लेनदेन को नकद प्रवाह विवरण में भी रिपोर्ट किया गया होगा? निवेश कार्यकलाप से संबंधित नकदी-भिन्न लेनदेन कौन से हैं जिन्हें नकद प्रवाह विवरण में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है? (5 अंक)

केस स्टडी - 2 के उत्तर**भाग - क****2.1 (घ)****2.2 (ख)****2.3 (ख)****2.4 (घ)****2.5 (ख)****भाग - ख****2.6 लेखापरीक्षा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए लेखापरीक्षक की भूमिका: विनियम 18(1)(च)**

में यह निर्धारित किया गया है कि सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि को, जब आवश्यक हो, लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा। इसी तरह, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में कंपनी के लेखापरीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सुने जाने का अधिकार दिया गया है जब यह लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करती है लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

लेखापरीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह लेखापरीक्षा समिति के साथ ऐसे प्रमुख लेखांकन या लेखापरीक्षा मुद्दों पर बार-बार और खुले तौर पर संवाद करे, जो लेखापरीक्षक के निर्णय में, वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के अधिक जोखिम को जन्म देते हैं, और यह भी सुनिश्चित करे कि वह लेखापरीक्षा समिति द्वारा किए गए किसी भी प्रश्न या व्यक्त किए गए सरोकार का समाधान करे।

वह कॉर्पोरेट अभिशासन में सुधार, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी, लेखांकन नीतियों और परिपाटियों के कार्यान्वयन, लेखांकन मानकों के अनुपालन, वित्तीय रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने में लेखापरीक्षा समिति की सहायता करने में और सलाह देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

लेखापरीक्षक को प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति की सहायता करने के लिए पर्याप्त पेशेवर समय समर्पित करना चाहिए ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें और कॉर्पोरेट अभिशासन की आवश्यकताओं के प्रमाणन में सक्षम हो सकें।

लेखापरीक्षक को यह ध्यान में रखना होगा कि उसकी भूमिका कॉर्पोरेट प्रशासन को सीधे संचालित करने की नहीं है। बल्कि, ऐसा करना प्रबंधन-तंत्र की जिम्मेदारी है और इस प्रक्रिया में, उसे कॉर्पोरेट अभिशासन के बेहतर मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक शामिल होंगे जिनमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा। यह

ध्यातव्य है कि लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष सहित बहुसंख्य सदस्य वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता वाले व्यक्ति होंगे।

इस मामले में, सूचीबद्ध निकाय फॉरएवर सोर्स लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति है जो नियमित रूप से बैठक करती है और वित्तीय विवरणों पर विचार करती है। एफएसएल की लेखापरीक्षा समिति में 3 निदेशक हैं जिनमें से 2 निदेशक स्वतंत्र निदेशक हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की अनुपालना में हैं।

यह भी अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय दृष्टि से साक्षर हों। इस मामले के तथ्य के अनुसार, एफएसएल के सभी निदेशक वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति हैं जो अधिनियम की धारा 177 की अनुपालना में भी हैं, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एफएस लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति की संरचना वैध है।

वैकल्पिक समाधान

लेखापरीक्षा समिति की संरचना: सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18(1) के अनुसार, एक योग्य और स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति की स्थापना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति में सदस्यों के रूप में कम से कम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, लेकिन बकाया एसआर (उच्चतर अधिकार) इक्विटी शेयरों वाले सूचीबद्ध निकाय के मामले में, लेखापरीक्षा समिति में केवल स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।
2. लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर होंगे और कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन अथवा संबंधित वित्तीय प्रबंधन की विशेषज्ञता होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण (i): "वित्तीय रूप से साक्षर" शब्द का अर्थ है सामान्य वित्तीय विवरणों अर्थात् तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाते और नकदी प्रवाह के विवरण को पढ़ने और समझने की क्षमता।

स्पष्टीकरण (ii): किसी सदस्य को लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञता से युक्त तभी माना जाएगा यदि उसके पास वित्त या लेखांकन का अनुभव है, अथवा लेखांकन में अपेक्षित व्यावसायिक प्रमाणन, अथवा कोई अन्य समतुल्य अनुभव या पृष्ठभूमि है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति वित्तीय दृष्टि से परिष्कृत होता हो, जिसमें उनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी अथवा वित्तीय निरीक्षण के दायित्व वाला अन्य वरिष्ठ अधिकारी होना या रह चुके होना शामिल है।

3. लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे और वह शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होंगे।
4. कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
5. लेखापरीक्षा समिति अपने विवेक से वित्त निदेशक अथवा वित्त कार्य के प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि और ऐसे अन्य अधिकारियों

को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करेगी, बशर्ते कि कभी-कभी, लेखापरीक्षा समिति सूचीबद्ध निकाय के किसी भी अधिकारी की उपस्थिति के बिना भी बैठक कर सकती है।

प्रस्तुत मामले में, फॉरएवर सोर्स लिमिटेड, जो एक सूचीबद्ध निकाय है, की लेखापरीक्षा समिति है जो नियमित रूप से बैठक करती है और वित्तीय विवरणों पर विचार करती है। एफएसएल की लेखापरीक्षा समिति में 3 निदेशक हैं जिनमें से 2 निदेशक स्वतंत्र निदेशक हैं जो सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18(1) के अनुपालन-स्वरूप हैं क्योंकि उसी के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक सदस्य के रूप में होंगे। लेखापरीक्षा समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

इसके अलावा, विनियम 18(1) में यह भी प्रावधान किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय दृष्टि से साक्षर होंगे और कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता होनी चाहिए। मामले के तथ्य के अनुसार एफएसएल के सभी निदेशक वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति हैं, जो विनियम के अनुपालन में भी हैं, हालांकि, यह **मानते हुए** कि एक निदेशक के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता है और लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एफएस लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति की संरचना वैध है।

2.7 अस्थायी अंतर लेनदेन के उदाहरण जो किसी उद्यम के कर-योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करते हैं:

1. ब्याज राजस्व बकाया के रूप में प्राप्त होता है और लेखांकन लाभ में समय विभाजन के आधार पर शामिल किया जाता है लेकिन नकद आधार पर कर-योग्य लाभ में शामिल किया जाता है।
2. जब माल सुपुर्द किया जाता है तो माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को लेखांकन लाभ में शामिल किया जाता है लेकिन नकदी एकत्र होने पर कर-योग्य लाभ में शामिल किया जाता है।

इस मामले में, किसी भी संबंधित माल-सूची से जुड़ा कटौती योग्य अस्थायी अंतर भी है।

3. परिसंपत्ति का मूल्यहास कर-प्रयोजनों के लिए त्वरित किया जाता है।
4. विकास लागतों को पूंजीकृत किया गया है तथा उन्हें लाभ और हानि के विवरण के लिए चुकता किया जाएगा लेकिन उस अवधि में कर-योग्य लाभ का निर्धारण करने में उनकी कटौती की गई थी जिसमें वे खर्च किए गए थे।
5. वर्तमान या पिछली अवधियों के कर-योग्य लाभ का निर्धारण करने के लिए पूर्वदत्त व्ययों को नकद आधार पर पहले ही घटा दिया गया है।

2.8 ऐसे निवेश लेनदेन जिन्हें नकद या नकद समतुल्यों के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, उन्हें नकदी प्रवाह के विवरण से बाहर रखा जाएगा। इस तरह के लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में कहीं और इस तरह से प्रकट किया जाएगा जो इन निवेश कार्यकलाप के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी मुहैया

कराएगा। अनेक निवेश कार्यकलाप का वर्तमान नकदी प्रवाह पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, हालांकि वे किसी निकाय की पूंजी और परिसंपत्ति संरचना को प्रभावित अवश्य करते हैं। ऐसी नकद-भिन्न मदें नकदी प्रवाह के विवरण का हिस्सा नहीं होंगी।

तदनुसार, यदि डीईएफ लिमिटेड में किया गया निवेश नकदी को छोड़कर किसी अन्य तरीके से किया गया है, तो उस लेनदेन को नकदी प्रवाह के विवरण में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा।

निवेश कार्यकलाप से संबंधित नकदी-भिन्न लेनदेन के उदाहरण जिन्हें नकदी प्रवाह के विवरण में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है:

- (क) प्रत्यक्ष रूप से संबंधित देनदारियों को मानते हुए परिसंपत्तियों का अधिग्रहण;
- (ख) पट्टे के माध्यम से परिसंपत्ति का अधिग्रहण;
- (ग) इक्विटी इश्यू के माध्यम से किसी निकाय का अधिग्रहण;

केस स्टडी: 3

नई दिल्ली स्थित मेसर्स एचके एंड कंपनी जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक अग्रणी फर्म है, के पास व्यवसाय और सेवा उद्योग के सभी कार्यक्षेत्रों के ग्राहक हैं। फर्म के 20 भागीदार हैं जिनके पास तीन दशकों से अधिक का व्यावसायिक अनुभव है।

जुलाई 2022 के महीने के दौरान, विभिन्न नियोजन टीमों ने अनेक कार्यों को संभाला और सीए एच कुमार को निम्नलिखित समनुदेशन में नियोजन टीमों की समीक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए कहा गया है।

फर्म के साथ समनुदेशन: जेके लिमिटेड (जेकेएल)

जेके लिमिटेड कोई नई परियोजना शुरू करने की बजाय चल रहे उद्यम का अधिग्रहण करने में रुचि रखता है। कंपनी की मैसर्स एआरपी लिमिटेड (सूचीबद्ध निकाय) (एआरपी) के एक डिवीजन में रुचि है। मैसर्स एआरपी लिमिटेड एक बहु-उद्योग कंपनी है जिसकी उपस्थिति ऑटो घटकों से लेकर कपड़ा मिलों तक और खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय तक है। ये सब व्यवसाय एक ही छत अर्थात् एआरपी लिमिटेड के अधीन हैं। एआरपी लिमिटेड के शेयर सक्रिय रूप से कारोबार कर रहे हैं और वर्तमान बाजार मूल्य ₹ 15 प्रति शेयर है। एआरपी लिमिटेड और जेके लिमिटेड का संक्षिप्त तुलन-पत्र इस प्रकार है:

(राशि हजारों रुपये में)

	एआरपी लिमिटेड	जेके लिमिटेड
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	1000	600
वर्तमान परिसंपत्तियाँ:		
व्यापार प्राप्य	500	100

नकद और नकद समतुल्य	500	50
कुल	2000	750
शेयरधारक की निधि	800	500
दीर्घावधि ऋण	200	50
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	1000	200
कुल	2000	750

एआरपी लिमिटेड के शेयरधारकों की निधि ₹ 10 प्रत्येक के 70,000 शेयरों के समतुल्य है और शेष अर्जन/ प्ररक्षित भंडार और अधिशेष बनाए रखा जाता है। डेटा पूरी कंपनी से संबंधित है न कि किसी विशेष डिवीजन से। खंड-वार मूल्यांकन से कंपनी का मूल्यांकन अपेक्षाकृत अधिक बैठेगा। एआरपी लिमिटेड के हार्डवेयर डिवीजन को ₹ 60 करोड़ में खरीदा जाएगा और इस अधिग्रहण के लिए जेके लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा धन उधार लिया जाएगा।

जेकेएल का एक भाग सोने के आभूषणों और गहनों के निर्यात में लगा हुआ है। जेकेएल के पास ₹ 4 लाख की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी है, जो ₹ 10 प्रत्येक के 40 हजार इक्विटी शेयरों में विभाजित है। 30 सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के परिणामों की तुलना में 30 सितंबर 2022 को समाप्त छमाही के परिणामों में राजस्व में 15% और मुनाफे में 20% की वृद्धि का संकेत दिया गया है। कंपनी की ऑर्डर बुक अगले पांच वर्षों तक इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए काफी मजबूत है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणामों को देखने के बाद, प्रबंधन ने ₹ 2 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बोर्ड की बैठक बुलाई गई है और 23 अक्टूबर 2022 को रिकॉर्ड तिथि तय करते हुए संकल्प पारित किया गया है।

कंपनी के एक कार्यकारी निदेशक श्री ट्यूलिप का राजनीतिक हित और संपर्क वाले व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध हैं। दक्षिण अफ्रीका के श्री जोसेफ ने श्री ट्यूलिप से संपर्क किया और उन्हें एक सौदे में जेकेएल को शामिल करने की पेशकश की जिसमें उनकी कंपनी एक बार में अच्छी खासी रकम कमा सकती है। लेन-देन का विवरण यह है कि श्री जोसेफ की कंपनी जेकेएल के बैंक खाते में ₹ 5.00 करोड़ अंतरित करेगी और फिर जेकेएल श्री जोसेफ द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न खातों में छोटी राशि में ₹ 3.50 करोड़ ट्रांसफर करेगी। चूंकि जेकेएल के बैंक खाते में आम तौर पर विदेशी भुगतान प्राप्त होते हैं, इसलिए किसी को इस लेनदेन पर संदेह नहीं होगा। इस प्रकार, कंपनी केवल अपने बैंक खाते का उपयोग करके ₹ 1.50 करोड़ कमा।

जेकेएल का एक और भाग ड्रिलिंग मशीनरी के निर्माण और निर्यात में लगा हुआ है। कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि 2021-2022 के दौरान स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स को कारखाने के परिसर से कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) तक तैयार माल ले जाने के लिए निम्नलिखित नकद भुगतान किए हैं:

- श्री एक्स को 04 जुलाई 2021 को नकद में किए गए 4,000 रुपये प्रत्येक के 6 चालानों का भुगतान।

- (ii) श्री वाई को क्रमशः 05 जुलाई 2021 और 06 जुलाई 2021 को नकद में किए गए 21,000 रुपये प्रत्येक के 2 चालान का भुगतान।
- (iii) श्री ज़ेड को वित्तीय वर्ष 2020-21 में बुक किए गए खर्चों के चालान के प्रति 07 जुलाई 2021 को 40,000 रुपये का किया गया नकद भुगतान।

इसके अलावा, जेकेएल के प्रबंधन-तंत्र ने एक रुग्ण कंपनी, मशीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) को खरीदने का फैसला किया है, जिसका निवल मूल्य नकारात्मक है। इस निर्णय पर अपनी राय देने के लिए वित्तीय सलाहकारों को नियुक्त किया गया था और उन सभी ने स्वयं जेकेएल को मशीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) के साथ विलय करने की सिफारिश की है बजाय एमआईएल को जेकेएल में विलय करने के। तथापि, प्रबंधन यह कदम उठाने के लिए इच्छुक नहीं है और अभी भी विलय की विधि पर अनिर्णय की स्थिति में है।

इसके अलावा, जेकेएल का एक और भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। आपकी लेखापरीक्षा प्रबंधक सीए सुश्री श्वेता जेकेएल की सांविधिक लेखापरीक्षा कर रही हैं। लेखापरीक्षा के दौरान उन्होंने सुना कि कंपनी में कुछ धोखाधड़ी हुई है और प्रबंधन ने जांच करवाई है। कुछ धांधली होने का संदेह है। उन्होंने प्रबंधन-तंत्र से इस तरह की जांच का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया है लेकिन प्रबंधन-तंत्र टालमटोल कर रहा है। उन्होंने प्रबंधन-तंत्र से धोखाधड़ी के संबंध में प्रबंधन का पक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। हालांकि, उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला।

निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प दीजिए।

3.1 सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं (एलओडीआर) के अनुसार जेकेएल को किस तारीख तक लाभांश की सिफारिश करनी चाहिए थी? (मान लें अक्टूबर 2022 के महीने में कोई अवकाश नहीं है)

- (क) 08 अक्टूबर 2022
- (ख) 17 अक्टूबर 2022
- (ग) 12 अक्टूबर 2022
- (घ) 21 अक्टूबर 2022

3.2 क्या आपको लगता है कि श्री ट्यूलिप को श्री जोसेफ के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और कंपनी के बैंक खातों के माध्यम से लेन-देन करना चाहिए?

- (क) जी हां, चूंकि लेन-देन बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए इसमें कोई जोखिम/देनदारी शामिल नहीं है।
- (ख) जी नहीं, चूंकि लेन-देन धन-शोधन के अपराध के तहत शामिल होगा और ₹ 5.00 करोड़ की राशि के लेन-देन को लेयरिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (ग) जी नहीं, क्योंकि लेन-देन धन-शोधन के अपराध के तहत शामिल होगा और ₹ 5.00 करोड़ की राशि के लेन-देन को नियोजन (प्लेसमेंट) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

- (घ) जी नहीं, क्योंकि लेनदेन धन-शोधन के अपराध के तहत शामिल होगा और ₹ 5.00 करोड़ की राशि के लेन-देन को एकीकरण (इंटीग्रेशन) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- 3.3 जे के लिमिटेड (जेकेएल) के तुलन-पत्र को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन-तंत्र अधिकतम कितनी राशि उधार ले सकता है?
- (क) ₹ 550,000 जो शेयरधारकों की निधियों और दीर्घकालिक ऋण के रूप में निवेश की गई पूंजी की समेकित राशि है। .
- (ख) ₹ 1,500,000 जो शेयरधारकों की निधि का तीन गुना है।
- (ग) ₹ 450,000 जो मौजूदा ऋण को घटाकर शेयरधारकों की निधि है।
- (घ) ₹ 250,000 जो कुल मौजूदा ऋण और वर्तमान देनदारियों एवं प्रावधानों को घटाकर शेयरधारकों की निधि है।
- 3.4 इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एआरपी लिमिटेड का खंड-वार मूल्यांकन करने से कंपनी का समग्र मूल्यांकन उच्चतर होगा, एआरपी लिमिटेड के मूल्य विभाजन के लिए जेके लिमिटेड (जेकेएल) द्वारा किस विधि का उपयोग किया जा सकता है?
- (क) शुद्ध बही मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकन।
- (ख) गुणकों द्वारा मूल्यांकन।
- (ग) चॉप शॉप पद्धति का उपयोग करके मूल्यांकन।
- (घ) तुलन-पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके।
- 3.5 कर-लेखापरीक्षक के रूप में, उपर्युक्त केस स्टडी (3) में उल्लिखित जेकेएल द्वारा किए गए नकद भुगतानों में से कौन सा भुगतान कर-लेखापरीक्षक द्वारा फॉर्म 3सीए-3सीडी में रिपोर्ट किया जाएगा?
- (क) (i), (ii) तथा (iii)
- (ख) (i) तथा (iii)
- (ग) (ii) तथा (iii)
- (घ) केवल (iii)

(5x2 = 10 अंक)

वर्णनात्मक प्रश्न

- 3.6 आपको सीए सुश्री श्वेता का मार्गदर्शन करना होगा कि उन्हें जेकेएल के मामले में कैसे आगे कार्रवाई करनी चाहिए जब प्रबंधन-तंत्र ने न तो जांच रिपोर्ट मुहैया कराई है और न ही संदिग्ध धोखाधड़ी के संबंध में कोई अभ्यावेदन। (6 अंक)
- 3.7 सापेक्ष मूल्यांकन पद्धति के तहत आधार के रूप में निकाय के मूल्य का उपयोग करके एआरपी लिमिटेड के उद्यम मूल्य की गणना करें। (4 अंक)

3.8 इस केस स्टडी में वित्तीय सलाहकारों के सुझाव का पालन करने पर मशीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) के साथ जेकेएल के विलय के मामले में प्रतिवर्ती विलय (रिवर्स मर्जर) की अवधारणा की व्याख्या करें और जेकेएल के प्रबंधन-तंत्र को लाभ, यदि कोई हो, की जानकारी दें। (5 अंक)

केस स्टडी 3 के उत्तर

भाग - क

3.1 दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है।

3.2 (ख)

3.3 (ग)

3.4 (ग)

3.5 (घ)

भाग - ख

3.6 धोखाधड़ी के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व: "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में धोखाधड़ी के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व" पर एसए 240 के अनुसार, लेखापरीक्षक यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों।

एसए 580 "लिखित अभ्यावेदन" के अनुसार, यदि प्रबंधन संशोधन करता है अथवा मांगे गए लिखित अभ्यावेदन नहीं उपलब्ध कराता है, तो इससे लेखापरीक्षक इस संभावना के प्रति सचेत हो सकता है कि एक या अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे मौजूद हो सकते हैं।

इस मामले में, सीए श्वेता को पता चला कि धोखाधड़ी का संदेह होने पर प्रबंधन-तंत्र ने जांच कराई है। उन्होंने प्रबंधन-तंत्र से धोखाधड़ी के संबंध में ऐसी जांच का विवरण और प्रबंधन का अभ्यावेदन देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला।

इस मामले में, लेखापरीक्षक ने देखा कि संभावित धोखाधड़ी के संदेह पर प्रबंधन के कहने पर एक विशेष लेखापरीक्षा की गई थी। इसलिए, लेखापरीक्षक ने विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुरोध किया जो कई अनुस्मारक के बावजूद प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। लेखापरीक्षक ने कंपनी पर/द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में लिखित अभ्यावेदन के लिए भी जोर दिया। इस मांग पर भी प्रबंधन-तंत्र मौन रहा।

यह ध्यातव्य है कि यदि प्रबंधन-तंत्र मांगे गए एक या अधिक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करता है, तो लेखापरीक्षक प्रबंधन-तंत्र के साथ इस मामले पर चर्चा करेगा; प्रबंधन-तंत्र की सत्यनिष्ठा का पुनर्मूल्यांकन करेगा और उस प्रभाव का मूल्यांकन करेगा जो इस स्थिति के अभ्यावेदन (मौखिक या लिखित) की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से लेखापरीक्षा साक्ष्य पर हो सकता है; और उचित कार्रवाई करेगा जिसमें लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में व्यक्त राय पर संभावित प्रभाव तय करना भी शामिल होगा।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अनुसार, यदि किसी कंपनी का लेखापरीक्षक को, लेखापरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान, यह विश्वास करने का कारण है कि कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी से जुड़ा अपराध किया जा रहा है अथवा किया गया है, तो वह तुरंत केंद्र सरकार को (धोखाधड़ी की राशि 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक होने की स्थिति में) या अन्य मामलों में लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड को (धोखाधड़ी की राशि 1 करोड़ रुपये से कम होने की स्थिति में) यथानिर्धारित समय में और विधिनुसार मामले की रिपोर्ट करेगा।

लेखापरीक्षक से सीएआरओ, 2020 के पैराग्राफ 3 के खंड (xi) के अनुसार रिपोर्ट करना भी अपेक्षित है कि क्या वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी देखी गई या रिपोर्ट की गई है; यदि हां, तो उसका स्वरूप और उसमें अंतर्गुप्त राशि का उल्लेख करें।

यदि, धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप उपजे मिथ्याकथन के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षक असाधारण परिस्थितियों का सामना करता है जो लेखापरीक्षा जारी रखने में लेखापरीक्षक की क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाती है, तो लेखापरीक्षक:

- (i) इन परिस्थितियों में प्रयोज्य व्यावसायिक और कानूनी जिम्मेदारियों का निर्धारण करेगा, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या लेखापरीक्षक से उस व्यक्ति या व्यक्तियों को रिपोर्ट करना अपेक्षित है, जिन्होंने लेखापरीक्षा निर्धारित की है या कुछ मामलों में, नियामक प्राधिकरणों को रिपोर्ट करना अपेक्षित है;
- (ii) विचार करेगा कि क्या नियोजन से पीछे हटना उचित है, जहां नियोजन से पीछे हटना कानूनी रूप से अनुमत है; और
- (iii) यदि लेखापरीक्षक वापस हटता है:
 - (1) प्रबंधन-तंत्र के उपयुक्त स्तर के साथ और अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ लेखापरीक्षक के नियोजन से पीछे हटने और इसके कारणों पर चर्चा करें; और
 - (2) निर्धारित करें कि क्या लेखापरीक्षा तय करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को रिपोर्ट करने के लिए या कुछ मामलों में, विनियामक प्राधिकरणों को लेखापरीक्षक के नियोजन से पीछे हटने और इसके कारणों रिपोर्ट करने की कोई व्यावसायिक या विधिक अपेक्षा है।

3.7 एआरपी लिमिटेड का उद्यम मूल्य

	₹
इक्विटी शेयरों का बाजार मूल्य (70,000 x ₹ 15)	10,50,000
जोड़ें: दीर्घकालिक ऋण	2,00,000
घटाएं: नकद और नकद समतुल्य	5,00,000
उद्यम मान	7,50,000

3.8 सामान्य स्थिति में, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया जाता है वह अपेक्षाकृत छोटी कंपनी होती है; 'रिवर्स टेकओवर' (प्रतिवर्ती अधिग्रहण) में छोटी कंपनी बड़ी कंपनी पर नियंत्रण हासिल कर लेती है। इस प्रकार प्रतिवर्ती बोली (रिवर्स बिड), या प्रतिवर्ती विलय (रिवर्स मर्जर) द्वारा अधिग्रहण की अवधारणा, किसी रुग्ण इकाई जो अर्थक्षम नहीं है, के स्वस्थ या समृद्ध इकाई के साथ समामेलन का सामान्य मामला नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जहां स्वस्थ और समृद्ध कंपनी के संपूर्ण उपक्रम का रुग्ण कंपनी, जो अर्थक्षम नहीं है, में विलय और अधिकृत किया जाना है। कोई भी कंपनी रुग्ण औद्योगिक कंपनी बन जाती है जब उसके निवल मूल्य में क्षय होता है। इस विकल्प को रिवर्स बिड द्वारा अधिग्रहण के रूप में भी जाना जाता है।

रिवर्स मर्जर से अधिग्रहणकर्ता कंपनी को निम्नलिखित लाभ होते हैं:

- पूंजी बाजार तक आसान पहुंच।
- कॉर्पोरेट जगत में कंपनी की पहचान में वृद्धि।
- अधिगृहीत (सार्वजनिक) कंपनी के घाटे को आगे ले जाने पर कर-लाभ।
- सार्वजनिक कंपनी बनने का कम महंगा और आसान मार्ग।

केस स्टडी: 4

जीएसवी एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म है। फर्म अपने ग्राहकों से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों के कारण नोटिस में आई है।

मामले के तथ्य

1. हैपी हैपी लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। कंपनी के निदेशक 24 सितंबर, 2022 को होने वाली आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में श्री श्यामलेश को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। श्री श्यामलेश के दामाद श्री संजय, वकीलों की फर्म संजय एंड एसोसिएट्स एलएलपी के मैनेजिंग पार्टनर हैं। श्री संजय हैपी हैपी लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी जेनेरिक लेबोरेटरी लिमिटेड के विधिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एडवोकेट संजय ने जेनेरिक लेबोरेटरी लिमिटेड से निम्नानुसार रुपये में परामर्श शुल्क लिया:

वर्ष	शुल्क	संजय एंड एसोसिएट्स का सकल कारोबार
2019-20	2,00,00,000	40,00,00,000
2020-21	10,00,00,000	50,00,00,000
2021-22	0.00	45,00,00,000

2. श्री श्याम लाल करोड़पति हैं और घूमने फिरने के शौकीन हैं और विभिन्न देशों में उनका निवेश है। वह पिछले 4 वर्ष अर्थात् 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान 300 दिन भारत में रहे हैं। पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान वह भारत में 75 दिन रहे हैं। भारत में स्रोतों से उनकी कुल आय ₹ 25.00 लाख है। श्री श्याम लाल पर अपने अधिवास या निवास या समान स्वरूप के किसी अन्य मानदंड के कारण किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर सम्बन्धी देयता नहीं है। वह सोचते हैं कि चूंकि वह 75 दिनों के लिए ही भारत में है, इसलिए वह भारत में निवासी नहीं

हो सकते। तथापि, उन्होंने सुना है कि भारत में कानून बदल गया है और इसलिए उन्होंने आयकर के अनुसार अपनी सही आवासीय स्थिति के निर्धारण के लिए उपर्युक्त जानकारी के साथ सीए विवेक से संपर्क किया।

3. फर्म वर्तमान में 200 कर-संबंधी लेखापरीक्षाएं कर रही है जिसमें ग्राहकों के 50 ऐसी लेखापरीक्षाएं शामिल हैं जो अनुमानित आधार पर अपनी आय प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के दौरान, अन्य ग्राहक फर्म से संपर्क करते हैं, जिनके लिए फर्म उनकी कर-संबंधी लेखापरीक्षा करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान कर रही है। भागीदार आपकी सुविज्ञ राय जानना चाहते हैं कि फर्म इस संख्या में और कितनी कर-संबंधी लेखापरीक्षाएं जोड़ सकती है।
4. श्री वी. कुमार ने 15 जनवरी 2022 को (जिस तारीख को स्थानांतरण पूरा हुआ) अपनी आवासीय संपत्ति ₹ 3.75 करोड़ के कुल मूल्य पर बेची है। उन्होंने ₹ 12.00 लाख की दलाली का भुगतान किया और 1995 में अधिग्रहण की वास्तविक लागत ₹ 20.00 लाख थी तथा उसके बाद 2009-2010 में ₹ 30.00 लाख की लागत से और सुधार किया गया है। 1 अप्रैल 2001 को निर्धारित उचित बाजार मूल्य ₹ 24.40 लाख बैठता है। श्री कुमार ने 30 नवंबर 2021 को अपने आवास के लिए ₹ 1.00 करोड़ में एक फ्लैट खरीदा है और स्टाम्प शुल्क, साज-सज्जा आदि पर ₹ 33.00 लाख का अतिरिक्त खर्च किया है। उन्होंने 54ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड में ₹ 50.00 लाख भी जमा करा दिए। वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 148 था और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 317 था। श्री कुमार ने अपनी आवासीय संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ की गणना के लिए सीए विवेक से संपर्क किया।
5. श्री मनीष, फर्म के एक लेख? ने विभिन्न संस्थाओं के साथ संबंधों का निम्नलिखित जटिल जाल प्रस्तुत करते हुए सीए सुशील से यह समझने के लिए संपर्क किया कि क्या वे भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के अनुसार संबंधित पक्ष हैं।
कंपनी 'ए' कंपनी 'बी' की सहायक कंपनी है। कंपनी 'बी' कंपनी 'सी' की सहायक कंपनी है। कंपनी 'डी' कंपनी 'ए' की सहायक कंपनी है। कंपनी 'एक्स' कंपनी 'डी' की सहयोगी है और कंपनी 'वाई' कंपनी 'एक्स' का संयुक्त उद्यम (जेवी) है।
6. जेड लिमिटेड ने अपने प्रबंध निदेशक श्री केशव प्रसाद को हटा दिया है और पद की हानि के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति देना अपेक्षित है। श्री केशव प्रसाद ने 31.05.2021 को प्रबंध निदेशक का पद छोड़ दिया, हालांकि जेड लिमिटेड के साथ उनकी नियुक्ति का मूल कार्यकाल 31.12.2023 तक जारी रहना था। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को कार्यभार ग्रहण किया था। उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति माह निम्नानुसार पारिश्रमिक प्राप्त किया है:

2019-20	₹ 20 लाख
2020-21	₹ 25 लाख
2021-22 (31 मई 2021 तक)	₹ 30 लाख

बहु-विकल्पी प्रश्न: निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प दीजिए। .

4.1 निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करें:

- (क) हैपी हैपी लिमिटेड श्री श्यामलेश को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके संबंधी श्री संजय, जेनेरिक लेबोरेटरी लिमिटेड जो इसकी सहयोगी कंपनी है, के विधिक सलाहकार हैं।
- (ख) हैपी हैपी लिमिटेड श्री श्यामलेश को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है क्योंकि वह श्री संजय के संबंधी हैं, जो ऐसी फर्म के प्रबंध भागीदार हैं जो कि इसकी सहयोगी कंपनी जेनेरिक लेबोरेटरी लिमिटेड की विधिक सलाहकार है, भले ही श्री संजय ने इसकी सहयोगी कंपनी से कितनी भी शुल्क की राशि प्रभारित की हो।
- (ग) हैपी हैपी लिमिटेड श्री श्यामलेश को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है क्योंकि वह उस फर्म के प्रबंध भागीदार श्री संजय के संबंधी हैं, जो इसकी सहयोगी कंपनी जेनेरिक लेबोरेटरी लिमिटेड की विधिक सलाहकार है, और पिछले ठीक तीन वित्तीय वर्षों में से एक वर्ष के दौरान श्री संजय द्वारा ली गई फीस कंपनी अधिनियम, 2013 में यथानिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक है।
- (घ) हैपी हैपी लिमिटेड श्री श्यामलेश को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है, भले ही उनके दामाद श्री संजय उस फर्म के प्रबंध भागीदार हैं जो इसकी सहयोगी कंपनी जेनेरिक लेबोरेटरी लिमिटेड की विधिक सलाहकार हैं, क्योंकि श्री संजय ने ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शुल्क नहीं लिया।

4.2 श्री श्यामलाल की आवासीय स्थिति _____ होगी

- (क) निवासी
- (ख) अनिवासी
- (ग) सामान्यतः निवासी नहीं है क्योंकि वह अधिवास के आधार पर किसी अन्य देश का निवासी नहीं है और उसकी आय विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर, ₹ 15 लाख से अधिक है।
- (घ) सामान्यतः निवासी नहीं है क्योंकि उसकी आय ₹ 15 लाख से अधिक है।

4.3 जीएसटी एसोसिएट्स _____ की धारा 44कख के तहत और लेखापरीक्षा स्वीकार कर सकते हैं।

- (क) 90 लेखापरीक्षा
- (ख) 40 लेखापरीक्षा
- (ग) शून्य
- (घ) 60 लेखापरीक्षा

4.4 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, कंपनी 'सी' के संबंधित पक्ष कौन से हैं?

- (क) क, ख, घ

(ख) क, ख, घ, एक्स

(ग) क, ख, घ, वाई

(घ) क, ख, घ, एक्स, वाई

4.5 प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कार्यभार के समयपूर्व समापन के लिए श्री केशव प्रसाद जिस क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि के हकदार हैं, वह निम्नानुसार होगी-

(क) ₹ 715.48 लाख

(ख) ₹ 930 लाख

(ग) शून्य

(घ) ₹ 697.50 लाख

(5 x 2 = 10 अंक)

वर्णनात्मक प्रश्न

4.6 किसी व्यक्ति की 'सामान्यतः निवासी नहीं' स्थिति की व्याख्या कीजिए। (5 अंक)

4.7 केस स्टडी के बिंदु (4) में बेची गई संपत्ति के संबंध में पूंजीगत लाभ की गणना करें। (5 अंक)

4.8 उन कारणों को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण किसी प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक को पद की हानि के लिए क्षतिपूर्ति से वंचित किया जा सकता है। (5 अंक)

केस स्टडी 4 का उत्तर

भाग - क

4.1 (ग)

4.2 (ख) अथवा (ग)

4.3 कोई भी विकल्प सही नहीं है।

4.4 (ख)

4.5 (क)

भाग - ख

4.6 धारा 6(6) के अनुसार, किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत में सामान्यतः निवासी नहीं कहा जाता है, यदि ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है:

(i) प्रासंगिक पिछले वर्ष से पहले के 10 पिछले वर्षों में से किन्हीं 9 में वह भारत में अनिवासी रहा हो, अथवा

(ii) प्रासंगिक पिछले वर्ष से पहले के 7 पिछले वर्षों के दौरान वह 729 दिनों या उससे कम की अवधि के लिए भारत में रहा हो, अथवा

(ii) वह एक भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति है (जो, भारत से बाहर होने के कारण, पिछले किसी वर्ष में भारत की यात्रा पर आता है) जिसकी कुल आय, विदेशी स्रोतों से हुई आय के अलावा [अर्थात्, वह आय जो भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होती है

(भारत में नियंत्रित व्यवसाय या स्थापित पेशे से प्राप्त आय को छोड़कर) और जिसे भारत में उपार्जित या उत्पन्न नहीं माना जाता], पिछले वर्ष के दौरान 15 लाख रुपये से अधिक हो, जो उस पिछले वर्ष के दौरान भारत में 120 दिनों या उससे अधिक के लिए लेकिन 182 दिनों से कम रहा हो, अथवा

(iv) वह एक भारतीय नागरिक है जिसे धारा 6(1क) के तहत भारत में निवासी माना जाता है।

4.7 निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए श्री वी. कुमार के पूंजीगत लाभ की गणना

विवरण	₹	₹
बिक्री प्रतिलाभ		3,75,00,000
घटाएं : दलाली		12,00,000
शुद्ध बिक्री प्रतिलाभ		3,63,00,000
घटाएं: अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत [₹ 24,40,000, जो 1 अप्रैल, 2001 को उचित बाजार मूल्य से अधिक है और ₹ 20,00,000 जो अधिग्रहण की वास्तविक लागत $\times 317/100$ है]	77,34,800	
घटाएं: सुधार की अनुक्रमित लागत $[30,00,000 \times ₹ 317/148]$	64,25,676	1,41,60,476
		2,21,39,524
घटाएं: धारा 54 के तहत छूट [₹1 करोड़ + ₹ 33 लाख] निर्धारित समय के भीतर आवासीय घर की खरीद (बिक्री की तारीख से एक वर्ष पहले या दो वर्ष बाद)	1,33,00,000	
घटाएं: धारा 54डग के तहत छूट, यह मानते हुए कि अंतरण की तारीख से छह महीने के भीतर निवेश किया गया है।	50,00,000	1,83,00,000
दीर्घावधिक पूंजी लाभ [क्योंकि संपत्ति 24 महीने से अधिक के लिए स्वामित्व में रखी गई है]		38,39,524

4.8 प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के पद की हानि के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान पर रोक [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 202]: निम्नलिखित मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा -

- जहाँ निदेशक कंपनी के पुनर्निर्माण, अथवा इसके समामेलन के परिणामस्वरूप अपने पद से त्यागपत्र दे देता है और समामेलन के बाद पुनर्गठित कंपनी या निगमित निकाय के प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है;
- जहाँ निदेशक कंपनी के पुनर्निर्माण या इसके समामेलन के कारण को छोड़कर अन्य किसी कारण से अपने पद से त्यागपत्र दे देता है अर्थात् स्वयं त्यागपत्र दे देता है;
- जहाँ धारा 167(1) के तहत निदेशक का पद खाली होता है;

- (iv) जहाँ निदेशक की लापरवाही या चूक के कारण कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है, (अधिकरण के आदेश से अथवा स्वेच्छा से);
- (v) जहाँ निदेशक कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में धोखाधड़ी/विश्वास भंग/घोर लापरवाही/घोर कुप्रबंधन का दोषी है; और जहाँ निदेशक ने अपने पद को समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाया है/भाग लिया है।

केस स्टडी: 5

ब्राइटस्टार लिमिटेड वर्तमान में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में लगी हुई है और अपने परिचालनों का विस्तार करने पर भी विचार कर रही है। कंपनी इस विस्तार योजना को लागू करने के लिए एक विदेशी निवेशक से भी निवेश की संभावनाएं तलाश रही है। अप्रैल 2022 के महीने के दौरान, एक विदेशी निवेशक ने ब्राइटस्टार लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी हासिल करने में रुचि दिखाई और ब्राइटस्टार लिमिटेड के संबंध में सम्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार नियुक्त किया। समझौता ज्ञापन (एमओयू) की एक शर्त के अनुसार, कंपनी से आईएफआरएस के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ब्राइटस्टार लिमिटेड प्रयोज्य आईएफआरएस के अनुसार आस्थगित करों की गणना की प्रक्रिया में लगी है और निम्नलिखित के लिए कर संबंधी व्यवहार पर मार्गदर्शन चाहती है:

कंपनी ने ₹ 90 करोड़ की कुल राशि से सन लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी अधिगृहीत की थी। यह शेयरधारिता ब्राइटस्टार लिमिटेड को सन लिमिटेड पर अच्छा-खासा प्रभाव देती है लेकिन नियंत्रण नहीं देती और इसलिए सन लिमिटेड में उक्त हित को इक्विटी पद्धति का उपयोग करके हिसाब में लिया जाता है। इक्विटी पद्धति के तहत, सन लिमिटेड में निवेश का वहन मूल्य 31 मार्च, 2021 को ₹140 करोड़ था और 31 मार्च, 2022 को ₹150 करोड़ था। प्रयोज्य कर कानूनों के अनुसार, इक्विटी पद्धति के तहत स्वीकृत लाभ पर कर तभी लगाया जाता है यदि और जब उन्हें लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है अथवा संबंधित निवेश का निपटान किया जाता है। कर की दर 20% है।

कंपनी पुनर्मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करके अपने मुख्यालय की संपत्ति का आकलन करती है। हर वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। 31 मार्च 2021 को संपत्ति का वहन मूल्य (पुनर्मूल्यांकन के बाद) ₹ 80 करोड़ था जबकि इसका कर आधार ₹ 44 करोड़ था। 31 मार्च 2021 को कंपनी की लेखा-बहियों में संपत्ति की वहन राशि कर-रिकॉर्ड के अनुसार संपत्ति की वहन राशि के बराबर थी। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने लाभ या हानि के विवरण में 4 करोड़ रुपये का मूल्यहास प्रभारित किया और ₹ 2.50 करोड़ के कर मूल्यहास के लिए कर कटौती का दावा किया। 31 मार्च, 2022 को संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन ₹ 90 करोड़ पर किया गया। कर कानूनों के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन के समय कर-योग्य आय को प्रभावित नहीं करता है। कर की दर 20% है।

वर्ष के दौरान, ब्राइटस्टार लिमिटेड ने ग्राहक 'के' को विनिर्मित उत्पादों की सुपुर्दगी की। उत्पाद खराब थे और 1 अक्टूबर 2021 को ग्राहक 'के' ने खराब उत्पाद की आपूर्ति के कारण हुई हानि के संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा करते हुए कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की। मामले की जांच करने पर,

ब्राइटस्टार लिमिटेड ने पाया कि आपूर्तिकर्ता 'एफ' से खरीदे गए खराब कच्चे माल के कारण उत्पाद खराब बने थे। इसलिए, 1 दिसंबर 2021 को, कंपनी ने खराब कच्चे माल की आपूर्ति के संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा करते हुए 'एफ' के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की।

ब्राइटस्टार लिमिटेड ने अनुमान लगाया है कि दोनों कानूनी कार्रवाइयों, ब्राइटस्टार लिमिटेड के विरुद्ध 'के' की कार्रवाई और 'एफ' के विरुद्ध ब्राइटस्टार लिमिटेड की कार्रवाई की सफलता की संभावना बहुत अधिक है।

1 अक्टूबर 2021 को, ब्राइटस्टार लिमिटेड ने अनुमान लगाया है कि उसे 'के' को जो क्षतिपूर्ति देनी होगी वह ₹ 10 करोड़ होगी। 31 मार्च 2022 को इस अनुमान को संशोधित कर ₹ 10.40 करोड़ और 15 मई 2022 तक ₹ 10.50 करोड़ कर दिया गया। यह मामला अंततः 1 जून 2022 को सुलझा लिया गया, जब कंपनी ने 'के' को ₹ 10.60 करोड़ की क्षतिपूर्ति दी।

1 दिसंबर 2021 को ब्राइटस्टार लिमिटेड ने अनुमान लगाया था कि उसे 'एफ' से ₹ 7.00 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। यह अनुमान संशोधित करके 31 मार्च 2022 को ₹ 7.20 करोड़ और 15 मई 2022 को ₹ 7.40 करोड़ कर दिया गया था। इस मामले को अंततः 1 जून 2022 को सुलझाया गया जब 'एफ' ने ब्राइटस्टार लिमिटेड को ₹ 7.50 करोड़ का भुगतान किया। ब्राइटस्टार लिमिटेड ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों में ₹ 7.20 करोड़ का प्रावधान दिखाया। ये वित्तीय विवरण 26 अप्रैल 2022 को निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए गए थे।

1 अप्रैल 2021 को, ब्राइटस्टार लिमिटेड ने एक सूचीबद्ध निकाय कासा लिमिटेड में शेयर अर्जित करने के लिए ₹ 20 लाख के ऑप्शन¹ खरीदे। कंपनी ने ₹ 0.50 प्रति ऑप्शन का भुगतान किया जो कंपनी को ₹ 4 प्रति शेयर की कीमत पर कासा लिमिटेड में शेयर खरीदने की अनुमति देता है। ऑप्शन प्रयोग के लिए तारीख 31 दिसंबर 2021 थी। 31 दिसंबर 2021 को, जब कासा लिमिटेड में एक शेयर का बाजार मूल्य ₹ 5.20 प्रति शेयर था, तो कंपनी ने कासा लिमिटेड में शेयर हासिल करने के लिए अपने सभी ऑप्शन का प्रयोग किया।

क्रय मूल्य के अलावा, कंपनी ने कासा लिमिटेड में ₹ 20 लाख के शेयरों** की खरीद के लिए ₹ 2 लाख की प्रत्यक्ष आरोप्य लागत भी लगाई है। कंपनी ने इन शेयरों को ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के रूप में वर्गीकृत किया है। हालाँकि, कंपनी ने 31 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच कासा लिमिटेड के किसी भी शेयर का निपटान नहीं किया है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कासा लिमिटेड के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 5.80 प्रति शेयर।*

ब्राइटस्टार लिमिटेड ने 1 जनवरी 2021 को मीथेन प्राइवेट लिमिटेड का 100% अधिग्रहण किया। क्रय प्रतिफल का उचित मूल्य ₹ 20 करोड़ था जिसमें ब्राइटस्टार लिमिटेड के 200 रुपये प्रत्येक के सामान्य शेयर शामिल थे। अर्जित शुद्ध परिसंपत्ति का उचित मूल्य ₹ 15 करोड़ था। अधिग्रहण के समय, ब्राइटस्टार लिमिटेड के साधारण शेयरों का मूल्य और मीथेन प्राइवेट लिमिटेड की शुद्ध परिसंपत्ति केवल अनंतिम रूप से निर्धारित की गई थी। 30 नवंबर 2021 को अंततः यह निर्धारित किया गया कि

¹ कृपया '20 लाख के ऑप्शन' को '20 लाख ऑप्शन' पढ़ें।

** कृपया '20 लाख के ऑप्शन' को '20 लाख ऑप्शन' पढ़ें।

ब्राइटस्टार लिमिटेड के शेयरों का उचित मूल्य ₹ 22 करोड़ था और मीथेन प्राइवेट लिमिटेड की शुद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ₹ 16 करोड़ था। हालांकि, ब्राइटस्टार लिमिटेड के निदेशकों ने 1 जनवरी 2021 से कंपनी के शेयरों के उचित मूल्य में गिरावट होती देखी है और 1 फरवरी 2022 की स्थिति के शेयरों के उचित मूल्य को स्वीकारना चाहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिफल का उचित मूल्य ₹18 करोड़ के स्तर पर हो जाएगा।

ब्राइटस्टार लिमिटेड की एक सहायक कंपनी ने भारत में भारतीय रुपये को अपनी कार्यात्मक मुद्रा बनाकर अपना कारोबार शुरू किया। कई वर्षों के बाद, इस निकाय का विस्तार हुआ और उसने अपने उत्पादों को यूरोप में निर्यात करना शुरू कर दिया। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान केवल 30% कारोबार यूरो में किया गया था। 31 मार्च 2022 के अंत तक, 90% व्यापार यूरोप के साथ किया गया था और लेन-देन यूरो में मूल्यवर्गित किए गए थे। आवश्यक कच्चा माल (यूरोप को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए) सभी आयातित सामग्री हैं और खरीद लेनदेन यूरो में मूल्यवर्गित हैं।

ब्राइटस्टार लिमिटेड ने पहले एक शॉपिंग मॉल का निर्माण किया है। मॉल के एक हिस्से को फूड कोर्ट, स्पा और गेमिंग जोन का निर्माण करके पुनर्निर्मित किया गया है ताकि मॉल में आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हो सके। फूड कोर्ट और गेमिंग जोन से मॉल की दुकानों और आउटलेट्स की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

ब्राइटस्टार लिमिटेड के पास पहले एक सुस्पष्ट पेंशन योजना (सुस्पष्ट लाभ योजना) थी जिसके तहत 1 अप्रैल 2020 से पहले इसमें शामिल होने वाले कर्मचारियों को नामांकित किया गया था। जहां तक 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों का संबंध है, वे सभी औद्योगिक पेंशन योजना में नामांकित थे। कंपनी ने पाया कि सुस्पष्ट पेंशन योजना की तुलना में औद्योगिक पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकर थी। इसलिए, 2021-2022 के दौरान, सभी कर्मचारियों को सुस्पष्ट पेंशन योजना से हटाकर औद्योगिक पेंशन योजना में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। निकाय ने कर्मचारियों को ₹10 करोड़ का भुगतान किया, जो बदले में सुस्पष्ट पेंशन योजना से पेंशन पात्रता को समाप्त करने पर सहमत हुए। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में पेंशन देनदारी के संदर्भ में स्वीकृत देनदारी ₹14 करोड़ थी।

बहु-विकल्पी प्रश्न: निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प दीजिए।

5.1 अधिग्रहण की तारीख को मीथेन प्राइवेट लिमिटेड की शुद्ध परिसंपत्ति का उचित मूल्य और क्रय प्रतिफल का मूल्य क्या है?

- (क) क्रय प्रतिफल ₹ 22 करोड़, शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य ₹ 16 करोड़।
- (ख) क्रय प्रतिफल ₹ 20 करोड़, शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य ₹ 15 करोड़।
- (ग) क्रय प्रतिफल ₹ 18 करोड़, शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य ₹ 16 करोड़।
- (घ) क्रय प्रतिफल ₹ 22 करोड़, शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य ₹ 15 करोड़।

5.2 वर्ष 2021-2022 के लिए ब्राइटस्टार लिमिटेड की सहायक कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा क्या होगी?

- (क) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अंत में यूरो में परिवर्तित किया गया, यदि यह माना जाए कि अंतर्निहित लेनदेन, घटनाओं और व्यवसाय की स्थिति बदल गई है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के शुरुआत में यूरो में परिवर्तित किया गया, यदि यह माना जाए कि अंतर्निहित लेनदेन, घटनाओं और व्यवसाय की स्थिति बदल गई है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अंत में यूरो में परिवर्तित किया गया, यदि यह माना जाए कि अंतर्निहित लेनदेन, घटनाओं और व्यवसाय की स्थिति बदल गई है।

(घ) कार्यात्मक मुद्रा अब भी भारतीय रुपया है।

5.3 नवीनीकरण के लिए किए गए खर्च के लिए लेखांकन व्यवहार क्या होना चाहिए?

(क) फूड कोर्ट और गेमिंग जोन के लिए किए गए खर्च को लाभ या हानि के विवरण में शामिल किया जाना चाहिए;

(ख) फूड कोर्ट, स्पा और गेमिंग जोन के लिए किए गए खर्च को लाभ या हानि के विवरण में शामिल किया जाना चाहिए;

(ग) फूड कोर्ट, स्पा और गेमिंग के लिए किए गए खर्च को पूंजीकृत किया जाना चाहिए;

(घ) फूड कोर्ट और गेमिंग के लिए किए गए खर्च को पूंजीकृत किया जाना चाहिए;

5.4 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कासा लिमिटेड की लेखा-बहियों में कंपनी पर ग्राहक 'के' द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के संबंध में खाते को लेकर शामिल की जाने वाली प्रविष्टि क्या है?

क	लाभ या हानि खाते का विवरण	नामे	₹ 10.40 करोड़
	वर्तमान देनदारी खाते पर		₹ 10.40 करोड़
ख	लाभ या हानि खाते का विवरण	नामे	₹ 10.60 करोड़
	गैर-वर्तमान देनदारी खाते पर		₹ 10.60 करोड़
ग	लाभ या हानि खाते का विवरण	नामे	₹ 10.50 करोड़
	वर्तमान देनदारी खाते पर		₹ 10.50 करोड़
घ	अन्य व्यापक आय खाता	नामे	₹ 10.40 करोड़
	वर्तमान देनदारी खाते पर		₹ 10.40 करोड़

5.5 प्रयोज्य आईएफआरएस के अनुसार आपूर्तिकर्ता 'एफ' के विरुद्ध ब्राइटस्टार लिमिटेड की कार्रवाई का लेखांकन व्यवहार क्या होगा?

(क) परिसंपत्ति प्राप्य ₹ 7.50 करोड़ के लिए स्वीकृत किया जाएगा।

(ख) परिसंपत्ति प्राप्य ₹ 7.40 करोड़ के लिए स्वीकृत किया जाएगा।

(ग) परिसंपत्ति प्राप्य ₹ 7.20 करोड़ के लिए स्वीकृत किया जाएगा।

- (घ) इसे आकस्मिक परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा जिसे कासा लिमिटेड की पुस्तकों में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। (5 x 2 = 10 अंक)

वर्णनात्मक प्रश्न

- 5.6 भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ब्राइटस्टार लिमिटेड के वित्तीय विवरण में पुरानी सुस्पष्ट पेंशन योजना की समाप्ति का हिसाब कैसे लगाया जाना चाहिए? (2 अंक)
- 5.7 सन लिमिटेड के संबंध में, आस्थगित कर क्या होगा और इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? (2 अंक)
- 5.8 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर देनदारी और प्रधान कार्यालय की संपत्ति पर लाभ या हानि और/या अन्य व्यापक आय के विवरण में प्रभार/क्रेडिट की गणना करें। (6 अंक)
- 5.9 कंपनी ने आपसे अनुरोध किया है कि उपर्युक्त व्यवस्था और कासा लिमिटेड में शेयरों के अधिग्रहण के लेन-देन के लेखांकन व्यवहार हेतु सुझाव दें। (5 अंक)

केस स्टडी 5 के उत्तर

भाग - क

- 5.1 (क)
- 5.2 (क) अथवा (ग)
- 5.3 (घ)
- 5.4 (क)
- 5.5 (घ)

भाग - ख

- 5.6 पुरानी सुस्पष्ट पेंशन योजना को बंद करना विरतीकरण की एक घटना है। निपटान होने पर ब्राइटस्टार लिमिटेड को लाभ या हानि को स्वीकार करना चाहिए जब कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते हो चुका हो, जो एकमुश्त भुगतान के बदले में पेंशन योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों के संबंध में आगे के सभी कानूनी या रचनात्मक देयताओं को समाप्त कर देता है।

आईएस 19 के पैरा 109 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार, निपटान होने पर लाभ या हानि निम्नलिखित के बीच का अंतर है:

- (क) निपटान की तारीख को निर्धारित सुस्पष्ट लाभ देयता का वर्तमान मूल्य
- (ख) निपटान मूल्य, जिसमें निपटान के संबंध में निकाय द्वारा किसी भी योजनागत परिसंपत्ति का हस्तांतरण और सीधे किए गए भुगतान शामिल हैं।

तदनुसार, ब्राइटस्टार लिमिटेड 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के अपने वित्तीय विवरणों में ₹ 4 करोड़ (अर्थात् ₹ 14 करोड़ - ₹ 10 करोड़) के निपटान लाभ को स्वीकारता है।

5.7 दिनांक 31.3.2022 को अवितरित लाभ के संचय पर बना डीटीएल

	वहन मूल्य	कर-रिकार्ड के अनुसार मूल्य	कर-आधार	करयोग्य अस्थायी अंतर	कुल आस्थगित कर देनदारी @20%	वर्ष के दौरान पीएंडएल पर प्रभारित किया गया
क	ख	ग	घ	ड = ख - घ	च = ड x 20%	छ
31 मार्च 2021	140 करोड़	90 करोड़	90 करोड़	50 करोड़	10 करोड़	10 करोड़
31 मार्च 2022	150 करोड़	90 करोड़	90 करोड़	60 करोड़	12 करोड़	2 करोड़ (12 करोड़ - 10 करोड़)

5.8 (क) यदि आस्थगित कर केवल मूल्यहास के कारण सृजित किया गया है।

	पुनर्मूल्यांकन के बिना वहन मूल्य	कर-रिकार्ड के अनुसार मूल्य	कर-आधार	करयोग्य/ (कटौती योग्य) अस्थायी अंतर	कुल आस्थगित कर देनदारी/ (परिसंपत्ति) @20%	वर्ष के दौरान ओसीआई को प्रभारित
क	ख	ग	घ	ड = ख - घ	च = ड x 20%	छ
31 मार्च 2021	44 करोड़	44 करोड़	44 करोड़	शून्य	शून्य	शून्य
घटाएं: वर्ष 2021-2022 के लिए मूल्यहास	(4 करोड़)	(2.50 करोड़)				
31 मार्च 2022 तक वहन मूल्य	40 करोड़	41.50 करोड़	41.50 करोड़	(1.50 करोड़)	डीटीए (0.30 करोड़)	डीटीए (0.30 करोड़)

(ख) पुनर्मूल्यांकित आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए कर प्रभाव की गणना और मूल्यहास में अंतर के कारण कर प्रभाव का समायोजन

	पुनर्मूल्यांकन के बिना वहन मूल्य	कर-रिकार्ड के अनुसार मूल्य	कर-आधार	करयोग्य/ (कटौती योग्य) अस्थायी अंतर	कुल आस्थगित कर देनदारी/ (परिसंपत्ति) @20%	वर्ष के दौरान पी एंड एल के लिए क्रेडिट	वर्ष के दौरान ओसीआई को प्रभारित
क	ख	ग	घ	ड = ख - घ	च = डx20%	छ	ज
31 मार्च 2021	80 करोड़	44 करोड़	44 करोड़	36 करोड़	डीटीएल 7.2 करोड़	-	डीटीएल 7.2 करोड़
31.3.2022 को फिर से पुनर्मूल्यांकन (यह माना जाता है कि चालू वर्ष के लिए मूल्यहास के	90 करोड़	41.50 करोड़ (44-2.50)	41.50 करोड़	48.50 करोड़	डीटीएल 9.7 करोड़	डीटीए (0.30 करोड़) (ऊपर तालिका (क) देखें)	डीटीएल 10 करोड़ (नीचे टिप्पणी देखें) [10 डीटीएल (बी/एफ) -0.30 डीटीए=9.70 डीटीएल]

प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पुनर्मूल्यांकन किया गया है)							
वर्ष के दौरान आवश्यक अतिरिक्त डीटीएल/डीटीए (IV-I)					डीटीएल 2.50 करोड़	डीटीए (0.30 करोड़) (ऊपर तालिका (क) देखें)	डीटीएल (2.80 करोड़) (नीचे टिप्पणी देखें)

टिप्पणी:

आईएस 12 के पैरा 65 'आयकर' के अनुसार, जब किसी परिसंपत्ति का कर प्रयोजनों के लिए पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और वह पुनर्मूल्यांकन पिछली किसी अवधि के लेखांकन पुनर्मूल्यांकन से संबंधित होता है, या भविष्य की किसी अवधि में लेखांकन पुनर्मूल्यांकन किए जाने की संभावना है, तब परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुए कर-प्रभाव और कर-आधार के समायोजन को उन अवधियों में अन्य व्यापक आय में स्वीकारा जाता है जिसमें वे घटित होते हैं।

यहाँ, यह समझना महत्वपूर्ण है कि परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुए केवल कर प्रभाव और कर आधार के समायोजन को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति दी जाती है। हालांकि, परिसंपत्ति के मूल्यहास के कारण कर प्रभाव और कर आधार के समायोजन को लाभ और हानि में स्वीकृति दी जाती है।

तदनुसार, सबसे पहले कर प्रभाव की गणना यह मानते हुए की गई है कि कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं है (ऊपर तालिका (क) देखें)। बाद में मूल्यहास में अंतर के कारण आकलित डीटीए को पुनर्मूल्यांकन के कारण बने डीटीएल के साथ समायोजित किया जाता है। मूल्यहास के कारण ₹ 0.30 करोड़ का डीटीए लाभ और हानि के लिए प्रभारित किया जाएगा और ₹ 2.80 करोड़ का डीटीएल ओसीआई को प्रभारित किया जाएगा। वर्ष 31.3.2022 में शुद्ध प्रभाव डीटीएल ₹ 2.50 करोड़ (डीटीएल ₹ 2.80 करोड़ - डीटीए ₹ 0.30 करोड़) होगा [ऊपर तालिका (ख) देखें]।

- 5.9** कासा लिमिटेड में शेयर हासिल करने का ऑप्शन व्युत्पाद वितीय लिखत के रूप में माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन का मूल्य एक अंतर्निहित परिवर्तनीय कारक (कासा लिमिटेड के शेयर की कीमत) के मूल्य पर निर्भर करता है। आईएफआरएस 9 के पैराग्राफ 4.1.4 और 4.2.1 'वितीय लिखत' के अनुसार, सभी व्युत्पाद को उचित मूल्य पर मापा जाता है। 1 अप्रैल 2021 को, जब ब्राइटस्टार लिमिटेड ने कासा लिमिटेड में शेयर हासिल करने के लिए ₹ 20 लाख ऑप्शन का ₹0.50 प्रति ऑप्शन पर क्रय किया, ब्राइटस्टार लिमिटेड निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि करके ₹ 10 लाख के ऑप्शन परिसंपत्ति को स्वीकृति देगा:

कासा लिमिटेड के शेयरों पर ऑप्शन बैंक को	नामे	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
--	------	----------	----------

ब्राइटस्टार लिमिटेड प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में और इस कार्रवाई से पहले भी उचित मूल्य पर ऑप्शन का मूल्यांकन करेगा। कार्रवाई की तारीख को शेयर की कीमत में वृद्धि ऑप्शन के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि कार्रवाई की तारीख पर समय का मूल्य शून्य है। इसलिए, ब्राइटस्टार लिमिटेड ₹ 24 लाख [20 लाख ऑप्शन x (5.2-4)] पर ऑप्शन का आकलन करेगा और लाभ या हानि में ₹14 लाख (24-10) के उचित मूल्य लाभ को स्वीकारेगा।

निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि की जाएगी:

कासा लिमिटेड के शेयरों पर ऑप्शन उचित मूल्य लाभ को	नामे	₹ 14 लाख	₹ 14 लाख
--	------	----------	----------

31 दिसंबर 2021 को ऑप्शन का प्रयोग करने पर, ब्राइटस्टार लिमिटेड कासा लिमिटेड के 20 लाख शेयरों के लिए ₹ 80 लाख का भुगतान करेगा और ऑप्शन डेरिवेटिव कासा लिमिटेड के शेयरों में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए, ब्राइटस्टार लिमिटेड निम्नलिखित प्रविष्टि करेगा:

कासा लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश बैंक को	नामे	₹ 104 लाख	₹ 80 लाख
कासा लिमिटेड के शेयरों पर ऑप्शन			₹ 24 लाख

आईएफआरएस 9 के अनुच्छेद 5.1.1 'वित्तीय लिखत' में अपेक्षित है कि यदि वित्तीय परिसंपत्ति को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य को छोड़कर अन्यथा मापा जाता है तो लेनदेन लागत को उचित मूल्य में जोड़ा जाएगा।

प्रस्तुत मामले में, कासा लिमिटेड के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने के लिए ब्राइटस्टार लिमिटेड द्वारा खर्च किए गए ₹ 2 लाख को कासा लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कासा लिमिटेड के इक्विटी शेयरों को आईएफआरएस 9 के पैरा 4.1.4 'वित्तीय लिखत' के अनुसार लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, ब्राइटस्टार लिमिटेड कासा लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण पर किए गए ₹ 2 लाख की स्वीकृति 31 मार्च 2022 तक लाभ या हानि में करेगा।

इस निवेश को 31 मार्च 2022 को वित्तीय स्थिति के विवरण में 116 लाख रुपये के उचित मूल्य पर वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में शामिल किया गया है। उचित मूल्य में ₹ 12 लाख की वृद्धि को लाभ और हानि में लिया गया है।